भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1769

जिसका उत्तर 21 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

30 भाद्रपद, 1942 (शक)

मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध

1769. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी :
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर :
श्री कुरुवा गोरांतला माधव :
डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसी 59 मोबाइल ऐप्स पर इस आधार पर प्रतिबंध लगाया है कि ये राज्य और लोक व्यवस्था की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा और सुरक्षा के लिए खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ये ऐप्स सूचना चुरा रहे हैं और अनधिकृत तरीके से उपभोगकर्ताओं के डाटा को गुप्त रूप से देश की सीमा-पार संचालित सर्वरों को भेज रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क), (ख), (ग) और **(घ)**: गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने भारत की संप्रभुता और अंखण्डता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और लोक ब्यवस्था के हित में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 29.06.2020 को 59 मोबाइल एप्लीकेशन (एप्प) को अवरूद्ध करने के लिए निदेश जारी किए। एमएचए द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, ये एप्प विदेशी सर्वरों के लिए अनधिकृत तरीके से जानकारी चोरी कर रहे थे और प्रयोक्ता डेटा को गुप्त जरीके से प्रसारित कर रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के कारण, सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी देश के साथ सम्पर्क सहित अन्य विवरणों का खुलासा नहीं किया जा सकता है।

*****